न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

राजस्व अपील सख्या :– 09/2019

अपीलाण्ट :–

1. सूरजकंवर पत्नी श्री लखसिह
2. किरण कंवर पत्नी श्री उगमसिह
3. जसवन्तसिह पुत्र श्री उगमसिह
4. जयपालसिह पुत्र श्री उगमसिह
5. भंवर कंवर पुत्री श्री उगमसिह
6. बेबीकंवर पुत्री श्री उगमसिह
7. सागरकंवर पुत्र श्री उगमसिह
8. आशा कंवर पुत्री श्री उगमसिह सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम बारा कला तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेट :–

1. मोहनसिह पुत्र श्री बचनसिह जाति राजपूत निवासी ग्रगम बारा कला तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत बारा खुर्द

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सख्या 740 दिनॉक 05.07.2013 जो ग्राम पंचायत बारा खुर्द द्वारा स्वीकृत किया गया ।

उपस्थिति :–

अपीलाण्ट की ओर से :– अधिवक्ता श्री अमरसिह भाटी

रेस्पोडेट सख्या 01 की ओर से :– अधिवक्ता श्री चन्दनसिह भाटी

रेस्पोडेट सख्या 02 बावजूद तामिल के अनुपस्थित

–::निर्णय ::–

दिनॉक 26.11.2019

अपीलाण्ट की ओर से अपील इस आशय की पेश की कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट सख्या 01 की सयुक्त खातेदारी व कब्जा किश्त सुदा [illegible] सख्या 143 रकबा 07 बीघा 10 बिश्वा मौजा ग्राम बारा कला तहसील ओ[illegible] जि[illegible] जोधपुर की सरहद में उक्त भूमि पूर्व में अपीलाण्ट स[illegible] उगमसिह पुत्र श्री लखसिह रेस्पोडेट के नाम से दर्ज थी उक्त भूमि अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा तथा [illegible] पर भी आज दिन 1/3 हिस्से के रूप में अपीलाण्ट [illegible] सयुक्त रूप से कब्जा व [illegible] चला आ रहा है जो निर्विवाद है किरताराम पुत्र श्री तुलछाराम जाति जाट निवासी बारा कला द्वारा अपनी खरीदसुदा भूमि 1/12 हिस्से की भूमि का बेचान रेस्पोडेट सख्या 01 काक किया जिसका नामान्तरकरण सख्या 740 दिनॉक 05.07.2013 दर्ज करते वक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:56:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

ग्राम पंचायत बारा खुर्द द्वारा गलत तरीके से बिना अपीलाण्ट सख्या 01 तथा 02 से 08 के पति पिता उगमसिह को बिना सुनवाई का अवसर दिए उनकी पीठ पीछे अपनी मनमर्जी से मोहनसिह पुत्र श्री बचनसिह 4/6 किरताराम पुत्र श्री तुलछाराम जाति जाट द्वारा बेचान किया गया 1/12 हिस्सा जोडकर मोहनसिह पुत्र श्री बचनसिह 3/4 के रूप में दर्ज कर दिया I जबकि रेस्पोडेट सख्या 01 का 7/12 हिस्सा था तथा 1/12 हिस्से की भूमि खरीदने के बाद 2/3 हिस्सा बनता है इसी अनुसार मौके पर कब्जा था । बिना मौके की जॉच किए यह नामान्तरकरण दर्ज किया है इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण एक शुन्य नामान्तरकरण की परिभाषा में आता है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आधार पेश किए है कि उक्त नामान्तरकरण अपीलाण्ट के पिता व पति उगमसिह को बिना सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया है तथा रेस्पोडेट सख्या 02 के द्वारा न तो मौके की व न ही हिस्से की जॉच ही की तथा न ही बेचान किए दस्तावेज की जॉच ही की जॉच की गई होती तो अपीलाण्ट का 1/3 हिस्से तथा रेस्पोडेट सख्या 01 द्वारा बेचान करने के बाद 7/12 हिस्से के रूप में मौके पर कब्जा सामने आता और रेस्पोडेट सख्या 01 का 7/12 हिस्सा दर्ज होता अपीलाण्ट का उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनॉक 16.07.2019 को अपीलाण्ट द्वारा हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड व नामान्तरकरण की नकल मॉगी तो उसी रोज हल्का पटवारी ने नकल तैयार कर अपीलाण्टस को दीलवाई तथा कहा कि राजस्व रेकर्ड में हिस्सा गलत दर्ज है तब सर्वप्रथम अपीलाण्ट को जानकारी हुई अन्त में ईस्तदुआ कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नमान्तरकरण सख्या 740 दिनॉक 05.07.2013 जो ग्राम पंचायत बारा खुर्द द्वारा पारित में रेस्पोडेट सख्या 01 का हिस्सा 4/6 जो गलत दर्ज कर रखा है उसके स्थान पर उनका 7/12 हिस्सा दर्ज करने का आदेश फरमावे। अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील के समर्थन में शपथपत्र पेश किया तथा अपील को अन्दर म्याद सुमार करने बाबत परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनॉक 16.07.2019 को होना बताया ।

अपीलाण्ट की अपील पेश होने पर दर्ज की जाकर रेस्पोडेट को तलब किया गया रेस्पोडेट सख्या 01 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा पेश करने हेतु अण्डरटेकिग दी व धारा 05 परिसीमा के अधिनियम के प्रार्थना पत्र पेश बहस करनी चाही।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि उक्त अपील में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार करते समय जो हिस्सा दर्शाया है वह गलत दर्शाया है जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज हिस्से के अनुसार पक्षकारो के अधिकार नही हैं तथा धारा 05 परिसीमा अधिनियम के बाबत अधिवक्ता द्वारा बताया किया अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित हिस्सा खसी जो दर्शायी है वह शुन्य [illegible] परिभाषा में है जिसके विरूद्व अपील कभी भी की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:56:36 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता रेस्पोडेट द्वारा [illegible] कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को शुरू से ही थी [illegible]स बाबत अपीलाण्ट द्वारा विधिक परिसीमा के भीतर कोई अपील पेश नही की है अपील अन्दर म्याद सुमार नही की जाकर परिसीमा के आधार पर अपील को मय हर्जे व खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य रेस्पोडेट की ओर से नही दिया गया है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी अपीलाण्ट द्वारा धारा 05 के प्रार्थना पत्र में हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर होना अंकित किया है इसलिए अपील के साथ प्रस्तुत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर म्याद सुमार किया जाता है।

अपीलाधीन नामान्तकरण बेचाननामा दिनॉक 21.06.2013 के आधार पर स्वीकार किया है जिसके कॉलम सख्या 07 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त कॉलम में किसी भी खातेदार का हिस्सा खुला हुआ नही है तथा कॉलम सख्या 09 में राजस्व हिस्सा खुला हुआ है जो बेचानामा दिनॉक 21.06.2013 के अनुसार नही खोला जाकर गलत दर्ज किया गया है। इसलिए अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत अपील अपीलॉण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण सख्या 740 जो ग्रम पंचायत बारा खुर्द के द्वारा स्वीकार किया गया था को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार ओसियॉ का आदेश दिया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम सख्या 09 में जो हिस्सा दर्शाया गया है वह हिस्सा हटारकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करे।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

आदेश आज दिनॉक 26/11/19 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सरेईजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:56:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner